माननीय सुश्री हिमा कोहली, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की अध्यक्षता में 28 नवंबर, 2020 को प्रातः 11.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग(Cisco Webex) के माध्यम से हुई बैठक के कार्यवृत्त

बैठक में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्चाधिकार समिति के निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लियाः

1. श्री बी.एस.भल्ला, प्रमुख सचिव, (गृह)/अतिरिक्त मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार..... **सदस्य**
2. श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल), दिल्ली.....**सदस्य।**
3. श्री कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DSLSA)

एजेंडाः भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Motu Petition (Civil) No. 1/2020– *In Re: Contagion of COVID-19 दिनांक 23.03.2020 और 13.04.2020* में जारी किए गए निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन

आइटम न. 1:पहले अपनाए गए निर्णयों के आधार परकैदियों की सुरक्षा, स्क्रीनिंग, पहचान, एवं कैदियों तथा जेल स्टॉफ के उपचार का जायजा

आरंभ में **श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल)** ने अध्यक्ष को सूचित किया कि समिति की पहले की बैठकों में लिए गए **निर्णयों और दिशा निर्देशों तथा हिदायतों** का पालन करने का जेल प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा सम्मिलित प्रयास किए गए। उन्होने आगे सूचित किया कि पहले अपनाए गए निर्णयों का गहनतापूर्वक पालन करने के परिणामस्वरूप वे जेल परिसर के अंदर **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस) के सक्रिय केसों** को कम करने में सफल रहे हैं जबकि वर्तमान में दिल्ली में **कोविड–19** के केसों में तेजी से वृद्धि हो रही है।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि उनके पत्र संख्या **No.PS/ DG(P)/2020/2089 दिनांक 27.11.2020** के द्वारा दिनांक 27.11..2020 तक दिल्ली जेल में **कोविड–19 के सक्रिय केसों का संचयी आंकड़ा इस प्रकार हैः**

जेल में बंद कैदी : **114** (**111** ठीक हुए, **02** की मृत्यु, **01** सक्रिय,

जेल स्टॉफः 279 (**263** ठीक हुए,**16** सक्रिय मामले)

कोविड–19 के एक सक्रिय केस के विषय में पूछे जाने पर महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि मंडोली की जेल सं. 16 में महिला कैदी का एक अव्यस्क बच्ची पाजिटिव

पायी गई थी। उसे उसकी मां के साथ GTB अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जहां उसे स्वास्थ्य लाभ हो रहा है।

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि दिनांक **20.06.2020** की तथा उसके पश्चात की बैठकों में लिए गए निर्णयों के आधार पर जेल प्रशासन **55 वर्ष से अधिक उम्र** के कैदियों के संबंध में अधिक सावधानी बरत रहा है जिससे वे **प्रतिरक्षा में अक्षम न** हो पाएं। महानिदेशक (जेल) ने समिति को आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही जारी रखेंगे।

समिति के सदस्यों ने उन सभी संभावित तरीकों के विषय में विचार विमर्श किया जिससे कि **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** जेल परिसर में प्रवेश कर सकता है। **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस**) के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जाने वाले संभावित कदमों पर भी विचार विमर्श किया गया जो किः

(ए) नए प्रवेशक जिसमें अंतरिम बेल/आपातकालीन पैरोल/फरलों की अवधि समाप्त होने के पश्चात आत्मसमर्पण के लिए वापिस आने वाले सम्मिलित हैं।

(बी) जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ

(सी) राशन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए जेल परिसर में प्रवेश करने वाले अन्य व्यक्ति।

<u>जेल स्टॉफ के लिए एहतियाती उपाय इत्यादि</u>

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर वे जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ एवं अन्य का ICMR के दिशा निर्देशों के आधार पर **रैपिड टेस्ट कर रहें हैं।** उन्होने सूचित किया कि जेल परिसर में प्रवेश करने से पूर्व जेल स्टॉफ की **थर्मल स्क्रीनिंग** की जाती है। उन्होने आगे सूचित किया कि उन्होने जेल स्टॉफ को आगाह किया है वे आपस में बातचीत करने के साथ –2 कैदियों से बात करते समय **मास्क** पहने और **सामाजिक दूरी** का पालन करें। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर **पीपीई किट** पहनने के लिए भी आगाह किया गया है। महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि अध्यक्ष के द्वारा दिए गए को सुझाव के अनुसार स्टॉफ दो परत सुरक्षा मास्क का प्रयोग कर रहा है और मास्क के साथ –2 वे वाइसर (visor) का भी प्रयोग भी कर रहें हैं।

उन्होने आगे सूचित किया कि दिनांक 27.11.2020 तक **279 जेल स्टॉफ** कोविड पॉजिटिव पाया गये। जिसमें से **263** पहले ही ठीक हों चुकें है। उन्होने अध्यक्ष को अवगत करवाया कि वर्तमान में जेल स्टॉफ के केवल **16** सक्रिय केस है जो कि घर में एकांत में हैं।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि जब भी कोई जेल स्टॉफ **कोविड–19 पॉजिटिव** पाया जाता है उन्हें उनकी डयूटी से छुट्टी दे दी जाती है और उन्हें घर में एकांत में रहने के लिए कहा जाता है। महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि इस प्रकार के सब केसों की contact tracing की जा रही है और वे सब जो इन जेल स्टॉफ के contact में आए थे उन सब को medically screened और टेस्ट किया जा रहा है। महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि उन्होने जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ एवं अन्य का कैदियों से संपर्क कम कर दिया है जिससे के जेल परिसर के अंदर **कोविड–19** के प्रसार को रोका जा सके।

<u>नए प्रवेशकों जिसमें अंतरिम बेल/आपातकालीन पैरोल/फरलों की अवधि समाप्त होने के पश्चात आत्मसमर्पण के लिए वापिस आने वाले सम्मिलित हैं, के लिए उठाए गए एहतियाती उपाय</u>

समिति के सदस्यों ने विचार विमर्श के पश्चात पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों को दोहराया कि **नए प्रवेशकों** को **अलगाव वार्ड** में रखना चाहिए जिससे कि वे पहले से ही जेल के अंदर बंद कैदियों से **घुलने मिलने** से रोका जा सके।

समिति की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि तिहाड़ के जेल न. 1, जेल न.2, जेल न. 4, जेल न. 7 और जेल न. 8/9 मंडोली की जेल न. 15 जिसमें **248** व्यक्तिगत सेल(संलग्न शौचालयों के साथ) हैं, को "**अलगाववार्ड"** के रूप में 21 वर्ष से अधिक आयु के नए पुरूष कैदियों के लिए बनाया जाए और तिहाड़ की जेल न. 5 को 18–21 वर्ष के बीच की आयु वाले नए कैदियों के लिए अलगाव वार्ड के रूप में बनाया जाए। वहीं नई महिला कैदियों के लिए तिहाड़ की जेल न. 06 को में "**अलगाव वार्ड"** के रूप में बनाया जाए।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि "**अलगाव वार्ड"** अब पूरी तरह से भर गए हैं, पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से मंडोली जेल के साथ ही स्थित पुलिस क्वार्टरों के आबंटन की मांग की जाए जिससे कि उक्त फ्लैटों को **अस्थाई जेल** के रूप में परिवर्तित किया जा सके और 21 वर्ष से अधिक आयु के **नए प्रवेशकों** को रखने के लिए **अलगाव वार्ड** के रूप में प्रयोग किया जा सके जहां उन्हें 14 दिन की आरंभिक अवधि के लिए रखा जाएगा।

अस्थायी जेल : जेल में अतिरिक्त आवास

प्रधान सचिव (गृह) के साथ –2 महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि उन्होने **अस्थायी जेल** बनाने और उसे **अलगाव वार्ड** के रूप में प्रयोग करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से **12 टावर** के आबंटन के लिए **पुख्ता प्रयास** किए हैं जिसमें प्रत्येक टावर में **30 फ्लैट** हैं। प्रधान सचिव (गृह) समिति को सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की **अधिसूचना न. 9/70/2020/HG/2427-2441 दिनांक 31.07.2020** के द्वारा **कोविड–19** महामारी को दृष्टि में रखते हुए अगले आदेश तक मंडोली जेल के साथ ही स्थित पुलिस क्वार्टरों को **अस्थायी जेल** घोषित कर दिया है।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित कियाकि पुलिस आवासीय परिसर, मंडोली में **12 टावर** हैं जिसमें से प्रत्येक में **30 फ्लैट** हैं। उन्होने बताया कि **12 टावरों** में से 4 टावर बी,सी, डी और ई ब्लॉक पूरी तरह से क्रियाशील हैं। यह भी बताया गया कि इन टावरों में उन्होने **223 कैदियों** को रखा है जिसे उन्होने अस्थायी जेल में परिवर्तित कर दिया है। उन्होने आगे यह भी बताया कि टावर जी,एच आई,जे,के एवं एल टावर कैदियों को रखने के लिए तैयार है और दो टावर ए और एफ को बाहरी सुरक्षा बलों को रखने के लिए सुरक्षित रखा गया है।

इस तथ्य से अवगत करवाने पर कि अस्थायी जेलों में पहले ही **223 कैदियों** को रखा गया है और अन्य को आत्मसमर्पण के पश्चात रखा जाएगा अध्यक्ष ने उपरोक्त अस्थायी जेल में जेल प्राधिकारियों के द्वारा किए गए उनके **सुरक्षा उपायों** के बारे में पूछा और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कैदियों को इन अस्थायी जेल में रखते समय कोई अप्रिय घटना न हो।

अध्यक्ष की अस्थायी जेल में रहने वाले कैदियों के बचाव और सुरक्षा की चिंता को देखते हुए महानिदेशक (जेल) ने**"अस्थायी जेल"** में रहने वाले कैदियों के बचाव और सुरक्षा के लिए अपनाए गए एहतियाती उपायों के विषय में अध्यक्ष को अवगत करवाया।

उन्होने आश्वासन दिया कि कैदियों के बचाव और सुरक्षा के लिए एस.ओ.पी. और अन्य प्रोटोकॉल के अनुसार जेल में पालन की जाने वाली आवश्यक सावधानियां"**अस्थायी जेल"** में रखी गई हैं। उन्होने आगे सूचित किया कि अस्थायी जेल को सील करने के लिए जेल प्रशासन द्वारा पी.डब्ल्यू.डी. से आवश्यक सहयोग लिया गया है जिससे कि अस्थायी जेल के अंदर कैदियों कर अनावश्यक आवाजाही की जांच की जा सके विशेषकर उन फ्लैटस/अपार्टमेन्ट की बालकनी को सीमित कर दिया गया है जिन्हें अस्थायी जेल में बदला गया है। जैसे कि अस्थायी जेल से कैदियों के भागने की संभावना की भी जांच की गई है और आवश्यक सावधानी बरती जा रही है।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि एक बार ये सभी टावर पूर्णतः क्रियाशील हो जाए तो **अस्थायी जेल** के इन टावरों में लगभग **2000** कैदियों को रख सकतें हैं। महानिदेशक (जेल) से यह सूचना प्राप्त करने के पश्चात समिति का यह विचार है कि जेल में नए प्रवेशकों के लिए **अलगाव वार्ड** बनाने की समस्या काफी हद तक हल हो गई है।

अध्यक्ष ने सुझाव दिया किया कि **न्यायालय के** द्वारा पारित आदेश का पालन करते हुए विचाराधीन कैदियों/दोषियों के आत्मसमर्पण के अवसर पर उन्हें संबंधित जेल में भेजने से पूर्व अस्थायी जेल में आरंभिक 14 दिन की अवधि के लिए **अस्थायी जेल** में **रखा** जाएगा। महानिदेशक (जेल) ने आश्वासन दिया कि इस सुझाव का पालन किया जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि पहले लिए गए निर्णयानुसार नए पुरूष कैदी जिनकी आयु 18 से 21 वर्ष के बीच है और नई महिला कैदियों को तिहाड़ की जेल न. 5 और 6 में तथा मंडोली जेल न. 16 में क्रमशः अलग **अलगाववार्ड** में रखा जाएगा।

<u>जेल अस्पताल</u>

अध्यक्ष ने जेल अस्पताल में **आक्सीजन से सबंधित मशीनों** के प्रयोग के साथ –2 कैदियों के **रेपिड एंटीजन टेस्ट** संबंध में पूछताछ की। महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि उन्होने **आक्सीजन से सबंधित 04 मशीने** खरीदी थी उसके पश्चात दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने **आक्सीजन से सबंधित 15 मशीनों** की आपूर्ति की। अतएव तिहाड़, मंडोली और रोहिणी जेल परिसर के अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में **आक्सीजन से सबंधित मशीने** उपलब्ध हैं। महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि ICMR के दिशा निर्देशों के अनुसार कैदियों के **रेपिड एंटीजन टेस्ट** किए जा रहें हैं। महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि जेल अस्पतालों में उचित संख्या में **आक्सीमीटर** और **ऑक्सीजन सिलेंडर** के साथ–2 **आवश्यक दवाइयों और उपकरणों** की नियमित रूप से आपूर्ति हो रही हैं।

<u>अन्य एहतियाती उपाय</u>

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को आगे उपायों के बारे में अवगत कराया कि **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रकोप को रोकने के लिए जेल स्टॉफ, कैदी, जेल कर्मचारी और अन्य व्यक्ति आवश्यक सावधानी बरत रहें हैं और **सामाजिक दूरी** के सिद्धांत का **गहनतापूर्वक** पालन कर रहें हैं। उन्होने अध्यक्ष को इस बात से भी अवगत कराया कि स्नान क्षेत्र, रसोई क्षेत्र, जेल टेलीफोन क्षेत्र को नियमित रूप से साफ और कीटाणुनाशक के द्वारा उचित रूप से सेनेटाइज किया जा रहा है। उन्होने आगे बताया कि जेलों में स्थापित **"पब्लिक एड्रेस सिस्टम"** के माध्यम से

कैदियों को आवश्यक सावधानियों के बारे में सूचित किया जाता है कि उन्हें "क्या करना चाहिए क्या नही"।

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि जेल स्टॉफ और कैदियों की जेल डॉक्टरों के द्वारा नियमित चिकित्सीय जांच की जा रही है और यदि डॉक्टर के द्वारा किसी को सलाह दी गई है तो वह तुरंत जेल अधीक्षक को सूचित करे और यदि वे किसी कैदी में **कोविड–19 (नोवेल करोना वायरस)** के लक्षण पाते है या किसी पर संदेह करतें है तो उसे ICMR स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी सलाह/दिशानिर्देश के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। उन्होने अध्यक्ष को आगे सूचित किया कि जेलों में **स्वच्छ सकारात्मक व्यवहार** के अभ्यास, प्रचार और प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहें हैं।

महानिदेशक (जेल) ने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त उन्होने **कोविड–19 (कोरोना वायरस)** के खतरे से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जैसेः

(ए) सभी बाहरी एजिसियों जिनमें गैर सरकारी संगठन भी सम्मिलित हैं, के **दौरा करने पर रोक**।

(बी) **कैदियों के** वार्ड से बाहर **घूमने फिरने पर रोक।**

(सी) कैदियों को रखने वाले क्षेत्रों को और स्टॉफ के आवासीय परिसर को **नियमित रूप से साफ और कीटाणुरहित** रखना।

(डी) सभी **नए कैदियों** को जेल में बंद करने से पहले सीपीआरओ में **पूर्व जांच** की जाती है।

(ई) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट, मास्क, दस्ताने, अल्कोहल युक्त हैंड रब और साबुन की **खरीद और वितरण।**

(एफ) सभी जेलों में **संदिग्ध कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के ***"Contact Tracing"*** के लिए **स्पेशल टास्क फोर्स** का गठन।

(जी) नए भर्ती कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए **मनोवैज्ञानिक स्क्रीनिंग।**

(एच) रसोई/कैंटीन में कर्मियों द्वारा **रसोई की स्वच्छता** और सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का उचित प्रकार से प्रयोग **पर बल।**

महानिदेशक (जेल) ने **आश्वासन** दिया कि जेल प्रशासन इन निर्णयों और सावधानियों का पालन करता रहेगा ताकि जेल परिसर में **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रकोप को रोका जा सके।

समिति महानिदेशक (जेल) के द्वारा उठाए जा रहे कदमों से **संतुष्ट** है और उन्हें ऐसा निरंतर करते रहने का निर्देश दिया।

आइटम न. 2: जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री और मेडिकल स्टॉफ की स्क्रीनिंग के विषय में उठाए गए कदम

जेल परिसर में **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** का प्रवेश जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ और अन्य और उनके माध्यम से होने की संभावना पर विचार करते हुए कैदियों में उसके प्रसार को रोकने के लिए समिति के द्वारा अतिरिक्त उपायों पर विचार–विमर्श किया गया।

अध्यक्ष के द्वारा पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के पालन के संबंध में पूछे जाने पर महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि वे उन निर्देशों का सख्ती से पालन कर रहें हैं और जेल स्टॉफ और अन्य के माध्यम से **कोविड–19 (कोरोना वायरस)** कैदियों तक पहुंचने के खतरे से निपटने के लिए उन्होने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि समिति के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर उन्होने ICMR के दिशा निर्देशों के अनुसार **उपरोक्त निर्दिष्ट जेल स्टॉफ** के लिए **रेपिड टेस्ट** का आयोजन किया और आवश्यकतानुसार जेल स्टॉफ का टेस्ट आरंभ कर दिया गया है।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि जेल स्टॉफके लिए **मास्क पहनना** अनिवार्य है और कैदियों से बातचीत करते समय **सामाजिक दूरी बनाए रखने** के लिए आगाह किया गया है।

समिति महानिदेशक (जेल) के द्वारा उठाए जा रहे कदमों से **संतुष्ट** है और उन्हें ऐसा निरंतर करते रहने का निर्देश दिया। तदानुसार यह **हल** किया जाता है।

आइटम नंबर 3:–जेलों में भीड़ कम करने के लिए पहले अपनाए गए मानदंडों के प्रभाव का जायजा

माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के द्वारा दिनांक **23.03.2020** को पारित आदेश के साथ ही उच्चाधिकार **समिति की बैठक दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020 18.04.2020 05.05.2020 18.05.2020, 20.06.2020, 31.07.2020, 30.08.2020 और**

24.10.2020 को अपनाए गए मानदंडों के आधार पर रिहा किये गए बंदियों का ब्यौरा समिति के समक्ष रखा गया। पहले अपनाए गए मानदंडों के अनुसार रिहा किए गए कैदियों कें अतिरिक्त समिति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के केस शीर्षक **W.P. (Criminal) No.779/2020** के आधार पर **व्यक्तिगत बांड** पर रिहा किये गए विचाराधीन कैदियों का पुनः अवलोकन किया। जिसके आंकड़े महानिदेशक (जेल) के पत्रांक **PS/ DG(P)/2020/2089** दिनांक 27.11.2020 में उल्लिखित हैं।

समिति ने रिहा किए गए विचाराधीन कैदियों का अवलोकन किया जो इस प्रकार है –

दिनांक 27.11.2020 तक अंतरिम जमानत पर छोड़े गए कैदी	**3499**
माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा W.P.(Criminal) No.779/2020 में जमानत आदेशों में किए गए संशोधन के आधार पर रिहा किए गए विचाराधीन कैदी	**310**
आपातकालीन पैरोल पर रिहा किए गए दोषी	**1183**
सजा में प्राप्त छूट से रिहा हुए दोषी	**122**
दिनांक 27.11.2020 तक अंतरिम जमानत/ पैरोल/ सजा में प्राप्त छूट से रिहा हुए कुल दोषी	**5114**

अंतरिम जमानतः

समिति के सदस्यो ने स्वयं को उस लक्ष्य का स्मरण करवाया जिसको ध्यान में रखकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केस शीर्षक ***"Suo Motu Petition (Civil) No.1/2020 – In Re: Contagion of COVID-19"*** के द्वारा समिति का गठन उन कैदियों के श्रेणी/वर्ग पर विचार करने के लिए किया था जिनको अंतरिम जमानत/पैरोल पर छोड़ा जा सकता है। यह केवल अपराध की गंभीरता पर नही बल्कि **अपराध की प्रकृति** और अन्य **संबंधित कारकों** पर निर्भर करता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस समिति का गठन, महामारी की अभूतपूर्व परिस्थितयों जिसके परिणामस्वरूप लॉकडाउन और न्यायालय के कार्य प्रतिबंधित हो गए थे, के कारण किया गया था। जिससे कि जेलों में भीड़ को कम किया जाए ताकि सामाजिक दूरी के सिद्धांत का पालन हो सके और कोविड–19 के प्रसार को रोका जा सके। समिति के सदस्यों ने दिनांक 13.04.2020 के बाद के आदेश का स्मरण कराया जिसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने राज्यों को कैदियों को अनिवार्य रूप से रिहा करने का आदेश नही दिया है।

समिति के सदस्यों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर यह महसूस किया कि इस समिति का गठन उपरोक्त लक्ष्य को लेकर किया गया था जिसका उद्देश्य केवल जेलों की भीड़ को कम करने का हल ढूढंना और वायरस के प्रसार से बचना था और ऐसा करते समय इस बात का घ्यान रखा गया था कि इन परिस्थितियों में अंतरिम जमानत से लाभ सामाजिक गिरावट के लिए नही हो सकता है।

समिति के सदस्यो की यह रॉय है कि यह व्यवस्था केवल अस्थायी आधार पर की गई है और इसका अर्थ कभी भी जमानत के या मान्यता प्राप्त सिद्धांतों/अनुदानों से इनकार के पूरक के रूप में नही था। इसके अतिरिक्त ये उपाय तब किए गए जब लॉकडाउन और मौजूदा परिस्थितियों के कारण न्यायालयों का कामकाज प्रतिबंधित था। हालाँकि स्थिति अब बदल गई है, इसलिए इन अस्थायी उपायों को सदा के लिए **बढ़ाया नही जा सकता** है।

भारत सरकार के दिनांक 30.09.2020 के आदेश सं. **40-3/2020-DM-I(A)** को ध्यान में रखते हुए अनलॉक 5 के संबंध में है और जो दिनांक 15.10.2020 से प्रभावी है और तदानुसार परिस्थितियों के परिवर्तन और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश सं. **538/RG/DHC/2020** दिनांक 19.10.2020 को ध्यान में रखते हुए, जिसमें सभी न्यायालय जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में कार्य पुनः भौतिक रूप/विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से शुरू हो रहें हैं। इस समिति ने यह निर्णय लिया है कि कि विचाराधीन कैदियों के लिए अंतरिम जमानत की सिफारिशों के मानदंडों को और **अधिक लचीला नही** बनाया जाएगा।

यह स्पष्ट किया गया है कि इस समिति द्वारा अपनी पहले की बैठकों में अपनाए गए मानदंडों के लाभ जो कि पिछली बैठक के अनुसार दिनांक 30.09.2020 तक जारी रहना था, को आगे नही बढ़ाया जा रहा है।

समिति के सदस्यों का यही विचार है कि सभी न्यायालय यानि माननीय उच्च न्यायालय के साथ –2 अधीनस्थ न्यायालय भी पूरी तरह से कार्य कर रहें हैं अतः सभी विचाराधीन कैदी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतन्त्र हैं। यह कहने की आवश्यकता नही है कि इस तरह के आवेदन जब कभी भी दायर किए जाएगें तो कानूनी सिद्धांतों के आधार पर संबंधित न्यायालयों द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

हालांकि यह पहले ही स्पष्ट किया गया है परंतु फिर दोहराया जाता है कि इस समिति द्वारा दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020, 18.4.20200, 05.052020, 18.05.2020, 20.06.2020 31.07.2020, 30.08.2020 एवं 24.10.2020 की बैठक में अपनाए गए मानदंड विचाराधीन कैदियों को **अंतरिम जमानत** पर छोड़ने का निर्णय और आज यहां अपनाई गई योजना अन्य विचाराधीन कैदियों के

अधिकारों को **प्रभावित नही** करेगी। जो विचाराधीन कैदी **इन श्रेणियों में नही आतें हैं** वे संबंधित न्यायालयों में अंतरिम/नियमित जमानत के लिए विनती कर सकतें है। ऐसे विचाराधीन कैदियों द्वारा आवेदन दाखिल करने पर संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार मेरिट पर इस पर विचार कर सकतें हैं।

सजा की छूट :

अध्यक्ष के द्वारा पूछे जाने पर महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि **दिनांक 28.03.2020** की उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों के आधार पर माननीय उपराज्यपाल ने आदेश सं. **F.9/63/2020 दिनांक 07.04.2020** के द्वारा **पात्र दोषियों को सजा की छूट** प्रदान की है। उन्होने आगे सूचित किया कि कार्यालय आदेश के अनुसार आज तक **72 दोषियों** को सजा की छूट पर छोड़ा गया है।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को आगे सूचित किया कि माननीय उपराज्यपाल के आदेश सं.F.9/63/2020/HG/2184 दिनांक 21.07.2020 में **दोषियों के छूट के लाभ देने का निर्देश** दिया गया है। जो कि **30 सितम्बर, 2020** तक इसके लिए पात्र हो जाएगे। समिति के संज्ञान में लाया गया कि इस नए आदेश के आधार पर आज तक **33 और दोषियों** को सजा की छूट पर रिहा किया गया है। अतः आज तक **105 दोषियों** को सजा की छूट का लाभ मिला है।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को आगे सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने विशेष सजा की छूट प्रदान करने के लिए पुनः दिनांक 07.04.2020 के आदेश को दिनांक 31.12. 2020 तक के आगे बढ़ा दिया गया है। तदानुसार 17 **और दोषियों** को सजा की छूट पर रिहा किया गया है। अतः दिनांक 27.11.2020 तक **122 दोषियों को सजा की छूट का लाभ मिला है।**

अध्यक्ष ने पूर्व की बैठकों में अपनाए गए निर्णयों का पालन और किए गए प्रयासों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, जेल प्रशासन और डीएसएलएसए की **सराहना** की।

आइटम नंबर 4:–दिनांक 30.08.2020 की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत बढ़ाने के संबंध में जायजा

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा, ने समिति को सूचित किया कि दिनांक **24.10.2020** की बैठक में दिए गए निर्देशानुसार उन्होने **दिनांक 28.10.2020** को माननीय रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय को पत्र लिखा था।

उक्त पत्र के आधार पर माननीय विशेष पीठ ने ***Writ Petition (Civil) Number***

3080/2020, titled *"Court on its own Motion Vs. Govt. of NCT of Delhi & Anr."***दिनांक 05.11.2020** के आदेश में जिन **3337** विचाराधीन कैदियों की **अंतरिम जमानत** को आगे बढ़ा दिया गया था उनकी **अंतरिम जमानत** को उनकी पूर्व अंतरिम जमानत समाप्त होने की तारीख से **30 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है**।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि **अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाए** जाने के साथ –2 समिति के दिनांक 24.10.2020 में अभिलिखित मानदंडों के आधार पर विचाराधीन कैदियों (जिसमें **3499** विचाराधीन कैदी सम्मिलित है)को प्रदान की गई अंतरिम जमानत की अवधि **05.12.2020** से समाप्त होने जा रही है।

समिति के संज्ञान में लाए कि यदि इस समिति द्वारा निर्धारित विभिन्न मानदंडों के तहत जिन 3499 विचाराधीन कैदियों और 1183 दोषियों को अंतरिम जमानत/आपातकालीन पैरोल दी गई है और उन्हें उसी अवधि के समाप्त होने पर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है तो दिल्ली की जेलों की कुल आबादी 20500 तक पहुचने की संभावना है जो कि अभूतपूर्व होगी और वर्तमान स्थिति और परिस्थितियों के कारण असहनीय हो सकती है।

उन्होने यह भी बताया कि आज तक केवल एक अवसर पर दिल्ली की जेलों की अधिकतम आबादी 18,000 तक पहुंची है।

महानिदेशक (जेल) ने इस प्रकार तर्क दिया कि वर्तमान जेलों की जनसंख्या देखते हुए जो कि **16100** है और कोविड–19 को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यह उचित होगा कि उच्चाधिकार समिति के मानदंडों के तहत **3499 विचाराधीन कैदियों** और **1183 दोषियों** की अंतरिम जमानत/आपातकालीन पैरोल की अवधि को **45 दिनों** के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

महानिदेशक (जेल) के द्वारा लिखा गया पत्रांक **PS/DG(P)/2020/2090** दिनांक **27.11. 2020** का पत्र भी समिति के संज्ञान में लाया गया।

समिति के सदस्यों ने महानिदेशक (जेल) के द्वारा लिखा गया **दिनांक 27.11.2020** के पत्र को पढ़ा और महानिदेशक (जेल) द्वारा दिए गए तर्कों विशेषकर महामारी की वर्तमान स्थिति और दिल्ली में कोविड–19 की वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श किया।

इस समिति ने अपनी अंतिम बैठक में दिल्ली में कोविड–19 की उस समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समिति को आशा थी कि स्थिति में सुधार हो जाएगा। हालांकि कोविड–19 की स्थिति ने 360 डिग्री का टर्न ले लिया है।

इस स्थिति में जीवित रहने के लिए समिति ने दिल्ली में दिनांक 01.11.2020 से कल यानि दिनांक 27.11.2020 तक कोविड–19 के अचानक बढ़े सक्रिय केसों पर विचार

किया।

दिल्ली में **कोविड–19 के सक्रिय केसों** के साथ –2 कोविड–19 के **कारण हुई मौतों** के आंकड़े इस प्रकार हैं

दिल्ली में कोविड –19 के आंकड़े			
क्रम सं.	दिनांक	सक्रिय केसों की संख्या	मृत्यु
1.	01.11.2020	5664	51
2.	02.11.2020	4001	42
3.	03.11.2020	6724	48
4.	04.11.2020	6842	51
5.	05.11.2020	6715	66
6.	06.11.2020	7178	64
7.	07.11.2020	6953	79
8.	08.11.2020	7745	77
9.	09.11.2020	5023	71
10.	10.11.2020	7830	83
11.	11.11.2020	8593	85
12.	12.11.2020	7053	104
13.	13.11.2020	7802	91
14.	14.11.2020	7340	96
15.	15.11.2020	3235	95
16.	16.11.2020	3797	99
17.	17.11.2020	6396	99
18.	18.11.2020	7486	131
19.	19.11.2020	7546	98
20.	20.11.2020	6608	118
21	21.11.2020	5879	111
22.	22.11.2020	6746	121
23.	23.11.2020	4454	121

24.	24.11.2020	6224	109
25.	25.11.2020	5246	99
26.	26.11.2020	5475	91
27.	27.11.2020	5482	98

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि कोविड –19 की स्थिति इस महीने के दौरान अक्टूबर के मुकाबले अत्यंत खराब हुई है।हालांकि पीक पर दिनांक 11.11.2020 से नए केसों में कुछ सुधार हुआ है और दिनांक 27.11.2020 तक कुल संचयी केसों की संख्या 556744 है और प्रतिदिन सक्रिय केसों की संख्या अभी भी अधिक है।

दिल्ली में कोविड–19 के केसों में आए अचानक उछाल से यह प्रतीत होता है कि अभी यह निश्चित नही है कि महामारी की आशंका कब समाप्त होगी। इसको ध्यान में रखते हुए समिति के सदस्यों का यह विचार है इस समिति द्वारा निर्धारित विभिन्न मानदंडों के तहत जिन 3499 विचाराधीन कैदियों और 1183 दोषियों को अंतरिम जमानत/आपातकालीन पैरोल दी गई है यदि इस स्थिति में आगे बढ़ाई नही जाती और विचाराधीन कैदियों और दोषियों को इस समय आत्मसमर्पण के लिए कहा जाता है तो यह एक खतरनाक प्रस्ताव होगा क्योंकि हो सकता है कि वे अपने साथ संक्रमण ले आयें। अतः इस समिति का एकमत विचार है कि इस प्रकार का कोई जोखिम नही लिया जा सकता अतः यह निर्णय लिया जाता है कि **3499 विचाराधीन कैदियों को प्रदान की गई अंतरिम जमानत को 45 दिनों के लिए आगे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।**

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव ने समिति को आगे सूचित किया कि माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जिस **विशेष पीठ** का गठन किया गया था जिसने उच्चाधिकार समिति के मानदंडों के तहत **W.P. (C) 3080/2020 दिनांक 05.11.2020** के आदेश के द्वारा विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत को पहले बढ़ाया गया था वही अब **दिनांक 02.12.2020 के लिए सूचीबद्ध है।**

समिति की राय है कि इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से एक न्यायिक आदेश की आवश्यकता होगी और तदानुसार **सिफारिश** की जाएगी। सह स्पष्ट किया जाता है कि ये **3489 विचाराधीन कैदी** जिनकी सिफारिश की गई है वे हैं जो कि समिति की पिछली बैठकों में अभिलिखित मानदंडों में से किसी एक में आतें हैं इस तथ्य के बावजूद कि अंतरिम जमानत के लिए आवेदन

उनके द्वारा अथवा उनकी ओर से **किसी निजी अधिवक्ता** अथवा **डीएसएलएसए के पैनल अधिवक्ता** के द्वारा दायर किया गया था।

सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि समिति की इन **सिफारिशों को** इन कार्यवृत्त (Minutes) की प्रतिलिपि के रूप में माननीय रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

इस समिति की सिफारिशों के आधार पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा इस तरह के किसी भी आदेश के पारित होने की स्थिति में यह स्पष्ट किया जाता है कि जेल प्रशासन ऐसे विचाराधीन कैदी को टेलीफोन के द्वारा उनके पहली अंतरिम जमानत की अवधि के समाप्त होने से पूर्व आगे की **45 दिन** की अवधि के लिए **सूचित करेगा।** महानिदेशक (जेल) ने **आश्वासन** दिया कि जेल प्रशासन आवश्यक कार्यवाही करेगा और विचारधीन कैदियों को उनके आत्मसमर्पण की सही तारीख के बारे में सूचित करेगा।

हालांकि यह स्पष्ट है लेकिन फिर भी यह स्पष्ट किया जा रहा है कि इस समिति द्वारा अलग–2 न्यायालयों द्वारा **अलग–2 तारीखों में 45 दिन की अवधि** के लिए विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत दी गई थी। अंतरिम जमानत की यह अवधि इस समिति के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा ***"W.P.(C) 3080/2020*** शीर्षक ***"Court on its own Motion Vs. State"***, आरंभ में दिनांक **09.05.2020** के आदेश द्वारा, जिस तारीख को उनकी अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त हो रही थी, उस तारीख से 45 दिनों के लिए **बढ़ाई गई थी** और उसी को समय–2 पर दिनांक **22.06.2020, 04.08.2020** और अंत में **18.09.2020** को **45 दिनों** के लिए **आगे बढ़ा दिया** गया। जिसे पिछली बार दिनांक 05.11.2020 के आदेश से 30 दिन की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। इन **3499 विचाराधीन** कैदियों को अलग–2 तारीखों पर **अंतरिम जमानत** दी गई थी। इस तरह उनकी अंतरिम जमानत चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएगी इसलिए उनके **आत्मसमर्पण** के लिए **अलग से तारीखों की आवश्यकता नही** है।

आइटम नंबर 5:– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के द्वारा दोषियों को प्रदान की गई आपातकालीन पैरोल को आगे बढ़ाने के संबंध में फीडबैक

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि समिति के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने दोषियों को 8 सप्ताह के लिए **आपातकालीन पैरोल** प्रदान की थी। जो कि बाद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के गृह विभाग के आदेश के द्वारा समय समय पर बढ़ाई गई।

समिति ने इसकी पहले की बैठकों में अपनाए गए निर्णयों का अनुपालन करते हुए और दिल्ली

में महामारी की स्थिति पर विचार करते हुए उस समय महानिदेशक (जेल) को उन दोषियों को पहले से ही प्रदान की गई **आपातकालीन पैरोल** को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से अपेक्षित अनुरोध का निर्देश दिया गया था।

दिनांक 24.10.2020 की अंतिम बैठक में श्री बी.एस. भल्ला, प्रधान सचिव (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली समिति के संज्ञान में **F.No.18/191/2015- HG/3263-68 दिनांक 06.10.2020** का आदेश लाए जिसमें महानिदेशक (जेल) के पत्र और समिति के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सभी दोषियों की **आपातकालीन पैरोल** को आगे **4 सप्ताह** के लिए बढ़ा दिया गया है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की **आदेश सं. 18/191/2015-HG/3554-61 dated 29.10.2020** के द्वारा उन सभी दोषियों की जिनकी **आपातकालीन पैरोल** की अवधि 28.11.2020 को या उससे पहले समाप्त होने जा रही है, को **4 सप्ताह** के लिए आगे **बढ़ा दिया गया है।**

उपरोक्त आइटम न. 4 में समिति के सदस्यों द्वारा किए गए विचार विमर्श को और वर्तमान जेल की आबादी को को ध्यान में रखते हुए समिति का विचार है कि **1183 दोषियो** की, जिनकी आपातकालीन पैरोल जो कि **09.01.2021 को या उससे पहले समाप्त** होने जा रही है उसे 6 **सप्ताह** की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

महानिदेशक (जेल) इस आशय से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का पत्र भेज सकते हैं। **म**हानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि इस बैठक की संभावना के कारण उन्होने विशेष सचिव (गृह) को दिनांक 26.11.2020 को **1183 दोषियो** की, जिनकी आपातकालीन पैरोल जो कि **09.01.2021 को या उससे पहले समाप्त** होने जा रही है की आपातकालीन पैरोल को 6 **सप्ताह** की अवधि के लिए आगे बढ़ाने के लिए पहले ही पत्र लिख दिया है।

प्रमुख सचिव (गृह) ने कहा कि वे जल्द से जल्द राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से जारी आदेश/निर्देश प्राप्त करेंगे।

बैठक के **कार्यवृत्त का पालन** सभी संबंधितों के द्वारा किया जाएगा।

अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त हुई।

संदीप गोयल	**श्री बी.एस. भल्ला**	**कंवलजीत अरोड़ा**
महानिदेशक (जेल)	**प्रमुख सचिव (गृह)**	**सदस्य सचिव**
		डीएसएलएसए

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री हिमा कोहली,

कार्यकारी अध्यक्ष,डीएसएलएसए

.....

यह सत्यापित किया जाता हैं कि दिनांक 28.11.2020 की बैठक के कार्यवृत्त का हिन्दी अनुवाद मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

हिन्दी अनुवादक
डीएसएलएसए